मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 3 मार्च, 2004 (फाल्गुन 13, 1925)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा डॉ. गोवर्धन शर्मा तथा श्री छोटेलाल उईके के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य सर्वश्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री हरीवल्लभ शुक्ला तथा श्री मनमोहन शाह बट्‌टी ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.46 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.57 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 37 प्रश्नों के उत्तर तथा 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के पिपराही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित शिशु शिक्षा केन्द्र के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने,

(3) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले में पटवारियों की कमी होने,

(4) श्री राजेश पटेल, सदस्य ने जिला रायसेन के औबेदुल्लागंज विकासखंड के ग्राम नादौर में चिकित्सालय की कमी होने,

(5) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य ने बालाघाट जिले के जमुनिया बांध फूटने से प्रभावितों को मुआवजा न दिये जाने,

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ला, सदस्य ने विस्थापित दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर दुकान आवंटन न किये जाने,

(7) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले में बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख तैयार न किये जाने, तथा

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर के गिर्द में वन गायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री ने कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 पटल पर रखी.

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने सतना जिले के ग्राम बढ़ोरा में असामाजिक तत्वों द्वारा नागरिकों के साथ मारपीट कर मकानों में आग लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश मुवेल, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में गर्भगृह में आये तथा सदन से बहिर्गमन किया)

(श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध विधेयक, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) कुंवर विजय शाह
(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) डॉ. सुनीलम्
(7) श्री राजेश पटेल
(8) श्रीमती सुधा जैन
(9) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(10) श्री रामपाल सिंह राजपूत

(भाषण अपूर्ण)

(1.01 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री रामपाल सिंह राजपूत, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया.

(11) श्री लालसिंह आर्य
(12) श्री दिलीप भटेरे
(13) श्री के.डी. देशमुख
(14) श्री हुकुमचंद यादव
(15) श्री नानालाल पाटीदार
(16) श्री शंकरलाल तिवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(17) श्री जालम सिंह पटेल,
(18) श्री घनश्याम सिंह
(19) श्री धरमूराय
(20) श्री बृजमोहन धूत

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 18 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध विधेयक, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

7. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (क) तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 156 के साथ पठित नियम 149 के अधीन वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान को विधान सभा में दिनांक 3 मार्च, 2004 के स्थान पर अब दिनांक 4 मार्च, 2004 को उपस्थापित करने के निर्देश राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये हैं।
अतः आज वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन नहीं होगा।

8. वर्ष 2004-2005 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा

वर्ष 2004-2005 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री हिम्मत कोठारी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) डॉ. सुनीलम्
(7) श्रीमती संध्या राय
(8) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(9) श्री उमाशंकर गुप्ता
(10) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

9. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक (लेखानुदान) को उपस्थापित किया।

6.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 04 मार्च, 2004 (फाल्गुन 14, 1925) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.